

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्या:अट्टारह-233-2016(एसआई-लिपिक)

दिनांक:जुलाई 19, 2016

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) की सम्मिलित अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रख्यापन।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक:23.07.2015 को प्रख्यापित "उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015" में निहित प्रावधानों के अनुसार पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर नियुक्त कर्मियों की पदोन्नति की कार्यवाही वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है। अतः पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) की अन्तिम निर्विवाद वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) की अनन्तिम (Tentative) वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है, जो <http://uppolice.gov.in> में 'Karmik' folder में Internet पर प्रदर्शित की जा रही है। कृपया अपने सिस्टम/कम्प्यूटर पर **Download** करके" अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मियों को सूचित कराये तथा कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराये।

2. अपने कार्यालय में नियुक्त उक्त कर्मियों के बारे में अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित सूचनाओं का परीक्षण अपने मुख्यालय/कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से करा लें तथा यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसके बारे में साक्ष्य/अभिलेखीय प्रमाण सहित पुलिस मुख्यालय को अवगत कराये, जिससे त्रुटियों को सुधार कर अन्तिम रूप देते हुए निर्विवाद अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की जा सके।

3. अतः कृपया आप पुलिस की उक्त वेबसाइट पर अपलोड सूची में अंकित अपने कार्यालय में नियुक्त सम्बन्धित कर्मियों को तत्काल सूचित करते हुए निर्देशित करें कि उक्त अपलोड की गयी सूची में अंकित विवरण के सम्बन्ध में किसी कर्मी को कोई आपत्ति हो तो वे उसके सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन, उपलब्ध अभिलेखों आदि की छायाप्रतियों सहित दिनांक: **31.07.2016** तक आपके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। कर्मी के प्राप्त प्रत्यावेदन का उनके सेवाभिलेखों के आलोक में अपने स्तर पर परीक्षण भी कर लिया जाये तथा अपनी टिप्पणी/संस्तुति सहित **दिनांक:02.08.2016** तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उस पर नियमानुसार विचारोपरान्त यथोचित निर्णय लेकर वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा सके। इसके पश्चात कोई प्रत्यावेदन/टिप्पणी पर पुलिस मुख्यालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

4. यह भी स्पष्ट करना है कि जिन जनपदों/इकाईयों द्वारा **दिनांक:02.08.2016** तक अपनी सुस्पष्ट टिप्पणी सहित कर्मी का प्रत्यावेदन पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनके सम्बन्ध में यह मानते हुये कि उनके यहाँ कार्यरत कर्मियों को अनन्तिम वरिष्ठता सूची से कोई आपत्ति नहीं है। अनन्तिम सूची को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वरिष्ठता के संबंध में कर्मियों द्वारा पूर्व में दिये गये प्रत्यावेदनों को निरस्त समझा जाय। **इस महत्वपूर्ण विषय को गम्भीरता प्रदान किया जाय।**

5. यदि आपके कार्यालय में नियुक्त कोई पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) अन्यत्र स्थानान्तरित/सम्बद्ध हो गया हो या प्रतिनियुक्ति पर हो तो उसे भी अपने स्तर से तैयार की गयी वरिष्ठता के बारे में अवगत कराते हुये कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराये।


6. उल्लेखनीय है कि अनन्तिम वरिष्ठता सूची के बाद निर्गत होने वाले अनन्तिम वरिष्ठता सूची में आंशिक रूप से ही संशोधन की सम्भावना होगी। अतः अनुरोध है कि कृपया अनन्तिम वरिष्ठता सूची के **कर्मॉक-20** तक के पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के सेवा अभिलेख तत्काल अद्यावधिक कराकर निम्न प्रकार अग्रेतर कार्यवाही की जाय:-

- (1) विगत में यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।
- (2) वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं के वार्षिक मन्तव्य, सत्यनिष्ठा के प्रमाणित करने के स्पष्ट अंकन कराने, दण्ड, अपील एवं रिवीजन, अभियोग आदि की अद्यावधिक प्रविष्टियां तथा प्रदत्त दण्ड के विरुद्ध योजित अपील अथवा रिवीजन के अद्यतन स्थिति सहित सूचना अंकित कर उपलब्ध कराया जाय। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या:डीजी-परिपत्र-49/2013 दिनांक:29.08.2013 द्वारा समुचित मार्ग-दर्शन निर्गत किया गया है। (परिपत्र दिनांक: 29.08.2013 की प्रति संलग्न है।)
- (3) भर्ती/चयन वर्ष-2015 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में अनन्तिम वरिष्ठता सूची के **कर्मॉक-20** तक के पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) का विवरण बोर्ड प्रपत्र-15 में वर्ष-2005 से 2014 तक के सेवा अभिलेखों की प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट 01-07-2016 होगी। बोर्ड प्रपत्र-15 को भरने हेतु दिशा- निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध लिंक "प्रोन्नति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियों" पर लिंक करने पर "प्रोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के प्रारूप" के अन्तर्गत उपलब्ध हैं और वहाँ से डाउन लोड किये जा सकते हैं। (बोर्ड प्रपत्र-15 एवं भरने हेतु दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है।)
- (4) पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) से पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति पाये अपने जनपद/इकाई के कार्मिकों के पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित नहीं है अथवा त्रुटिपूर्ण है, के संबंध में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सही अंकित कर उपलब्ध कराया जाय।
- (5) बोर्ड प्रपत्र-15 में सूचनायें ए-3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-15 में सूचनायें पुलिस मुख्यालय में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।
- (6) कतिपय पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। अतः इस सम्बन्ध में अनन्तिम वरिष्ठता सूची के **कर्मॉक-20** तक के पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) से स्वघोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति के साथ स्वघोषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय। (स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

- (7) यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) द्वारा कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र-15 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही सभी पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-15 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जाये।
- (8) समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।
- (9) सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) की चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र-15 में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा-पत्र दोनों 03-03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सीडी लेकर सम्बन्धित सहायक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग-18 में दिनांक: 10.08.2016 तक उपस्थित होकर चरित्रपंजिकाओं/सूचनाओं का मिलान कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7- प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः अनुरोध है कि अपेक्षित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायी जाय। प्रकरण में सर्वोच्च वरीयता अपेक्षित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (अनन्तिम वरिष्ठता सूची)



(ए०के० शुक्ल) 19/7

पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि: पुलिस उप-महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्न पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) की सम्मिलित अनन्तिम वरिष्ठता सूची को पुलिस की बेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: (अनन्तिम वरिष्ठता सूची)